न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2020
GCMS Case Reg. 2020/00007

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती नीता पत्नी मनीष, जाति जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी, बॉसवाडा।
2. श्री हर्ष जैन पिता मनीष, जाति जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी, बॉसवाडा।
3. श्री मेहुल जैन पिता मनीष, जाति जैन, नाबालिग सरपरस्त वलिया माता श्रीमती नीता पत्नी मनीष जाति जैन निवासी बाहुबली कॉलोनी, बॉसवाडा।
4. श्री अशोक पिता नन्दकिशोर जाति अग्रवाल, निवासी बॉसवाडा

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित – 1. श्री भूपेंन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता
2. श्री सुरेश कुमार दोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 16.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 किस्म भूमि गैर मुमकीन नदी सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराज़ी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 2756/ 1394 रकबा 0.04 बिघा भूमि किस्म खरडी अप्रार्थी श्री मनीष पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि [illegible] सेटलमेंट गैर मुमकीन नदी श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान [illegible]कारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/[illegible]/तालाब/नाली/

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि किस्म नदी श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033-36 मे आराजी नंबर 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा श्री लक्ष्मीलाल, हिरालाल, शम्भुलाल पिता शंकर माली साकिन देह के नाम दर्ज हुई। उसके उपरांत नामान्तरकरण संख्या 1840 दिनांक 30.12.2000 से जरिये विरासत में उक्त आराजी श्रीमती गुलाब बाई बेवा लक्ष्मीलाल, राजु विनोद पिता हिरालाल, शम्भुलाल पिता शंकर माली साकिन देह के नाम दर्ज हुई। उसके उपरांत जरिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 3971 दिनांक 09.05.2013 से अप्रार्थी श्री मनीष पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी यथावत है।

सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा किस्म नदी दर्ज थी। जमाबंदी संवत् 2050-53 में आराजी नंबर 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा किस्म नदी के स्थान पर खरडी दर्ज हुआ। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 [illegible] भू [illegible] अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बॉसवाडा पटवार [illegible] बॉसवाडा [illegible] जिला बॉसवाडा आराजी नं 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा [illegible] श्री [illegible] पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नन्दकिशोर अग्रवाल के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस निरस्त की जाकर सरकारी दर्ज किए जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सं.1 की मृत्यु हो जाने से तहसीलदार बॉसवाडा की ओर से कायम वारिसान की सूची प्राप्त हुई जिस अनुसार श्रीमती गीता जैन पत्नी स्व.मनीष जैन, श्री हर्ष जैन पिता स्व. मनीष जैन एवं श्री अशोक पिता श्री नन्दकिशोर अग्रवाल की ओर से श्री सुरेश कुमार दोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगणो की ओर से दिनाक 11.01.2021 को जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने खाता सं.571 सर्वे नंबर 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 14.02.2013 को क्रय की गई है। उक्त कृषि भूमि सेटलमेंट के समय से खातेदारो की कृषि भूमि होने से लगातार आज तक कृषि कार्य करते चले आ रहे है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा कभी भी एतराज नही किया गया है, मौके पर 0.04 बिघा भूमि पर नदी पेटे में नही है, जिस पर कृषि होती है। उक्त कृषि भूमि का रेवेन्यु रकार्ड में सेटलमेंट के बाद कई बार हस्तांतरण, विक्रय एवं उत्तराधिकारियों का इन्द्राज हुआ है, जो लम्बे समय बाद एतराज उठाया गया है। उक्त प्रकरण में लगभग 50 वर्ष से कृषको के खाते में उक्त खसरा बोल रहा है अतः वह इसके पूर्ण मालिक हो गये है। अतः तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम निरस्त करने निवेदन किया।

दिनांक 16.02.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खाता सं.571 सर्वे नंबर 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 14.02.2013 को क्रय की गई है। उक्त कृषि भूमि सेटलमेंट के समय से खातेदारो की कृषि भूमि होने से लगातार आज तक कृषि कार्य करते चले आ रहे है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा कभी भी एतराज नही किया गया है, मौके पर 0.04 बिघा भूमि पर नदी पेटे में नही है, जिस पर कृषि होती है। उक्त प्रकरण में लगभग 50 वर्ष से कृषको के खाते में उक्त खसरा बोल रहा है, वह इसके पूर्ण मालिक हो गये है। अतः तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम निरस्त करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
बॉसवाड़ा (राज.)

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम बांसवाड़ा के खसरा संख्या 1394 रकबा 18.11 किस्म भूमि "नदी" सिवायचक श्रीसरकार अंकित है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070--73 के खसरा नं. 2756/1394 रकबा 0.04 भूमि खातेदार श्री मनीष पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला/नदी/नाली दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकारी व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है। अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस किया जावे

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 वाके ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 1394 रकबा 18.11 बिघा भूमि किस्म नदी श्रीसरकार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033--36 में आराजी नंबर 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा श्री लक्ष्मीलाल, हिरालाल, शम्भुलाल पिता शंकर माली साकिन देह के नाम दर्ज हुई। उसके उपरांत नामान्तरकरण संख्या 1840 दिनांक 30.12.2000 से जरिये विरासत में उक्त आराजी श्रीमती गुलाब बाई बेवा लक्ष्मीलाल, राजु विनोद पिता हिरालाल, शम्भुलाल पिता शंकर माली साकिन देह के नाम दर्ज हुई। उसके उपरांत जरिये विक्रय नामान्तरकरण संख्या 3971 दिनांक 09.05.2013 से अप्रार्थी श्री मनीष पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी यथावत है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 में आराजी नंबर 1394 किस्म नदी दर्ज थी तथा जमाबन्दी संवत् 2050--53 में आराजी नंबर 2756/1394 किस्म नदी के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पर खरडी दर्ज हुआ। जो बिना किसी आधार के विधि विरुद्ध दर्ज किया गया है। सेटलमेंट खतौनी संवत् 1997 अनुसार भूमि की मूल किस्म नदी है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम बॉसवाडा पटवार मण्डल बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2756/1394 रकबा 0.04 बिघा खातेदार श्री मनीष पिता अमृतलाल जैन, श्री अशोक पिता नन्दकिशोर अग्रवाल के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस गैर मुमकिन नदी दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेफरेरा प्रार्थना पत्र तहसीलदार बॉसवाडा स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थी अधिवक्ता को पाबन्द किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अप्रार्थी दिनांक 05.04.2021 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:24 IST
Reason: SelfAttested